



राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और संवैधानिक प्रावधान का  
अध्ययन  
CHHATRA PAL

RESEARCH SCHOLAR SUNRISE UNIVERSITY ALWAR

**Dr.RAM SWAROOP GUPTA**

PROFESSOR SUNRISE UNIVERSITY ALWAR

सारांश

महिला सशक्तिकरण का मतलब समान स्थिति और महिलाओं को बनाने की स्वतंत्रता हो सकती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, स्वायत्त और सक्षम बनाना है, ताक वे कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकें और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकें। भारतीय संवधान में लैंगिक और नस्लीय भेदभाव को प्रतिबंधित करने, मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाने, बल में श्रम पर प्रतिबंध लगाने और महिलाओं के लिए निर्वाचित पदों को आरक्षित करने का प्रयास किया गया है ताक यौन असमानताओं को कम किया जा सके। महिलाओं को समान अधिकारों के लिए राजनीतिक दलों में बढ़ती मांगों से जोड़ा जाता है। लैंगिक समानता पर संवैधानिक आवश्यकताओं के बावजूद, संसद में केवल कुछ महिलाएं ही अपना निर्णय ले सकती हैं। स्वदेशी महिलाएं बहुत शक्तिहीन होती हैं, और अनादि काल से पुरुषों की तुलना में उनका सम्मान कम होता है। लैंगिक असमानता शिक्षा और रोजगार तक पहुंच प्राप्त कर रही है। महिलाओं को भी समाज में असमान लिंग भूमिका निभाने के लिए पाया गया है। भारत में राजनीति में पुरुषों की तुलना में महिलाएं प्रभावित नहीं होती हैं। विश्व के अधिकांश देशों में भी यही स्थिति है। पछले समय के दौरान, राजनीति में महिलाओं की भूमिका अब बहुत प्रेरणादायक है। आज यह पहले से काफी बेहतर है। लेकिन भारत में, कुलीन महिलाएं और शहरी दल भारतीय महिलाओं की निर्णय लेने वाली शक्तियों को आकर्षित करना जारी रखते हैं। भारतीय संसद में महिलाओं का समावेश आज भी उचित नहीं है। वधायी निकायों में अतिरिक्त स्थान के लिए महिलाएं तंग हैं। शोध से पता चलता है क राजनीतिक भागीदारी

महिलाओं को समाज में अपनी मूलभूत समस्याओं और इच्छाओं को संभालने की अनुमति देती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रचलित राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला और स्थानीय स्तर उपलब्ध है और राजस्व, पारदर्शिता, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक नेतृत्व और नीति की मांग के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। दुनिया की आबादी का 0.5% से अधिक है। यह सच है। यह सच है। हालांकि, उनके पास अपने साथियों की तुलना में राजनीतिक निर्णय लेने की न्यूनतम डी नहीं है। इस लिए महिलाओं को निर्णय लेने और राजनीति करने के लिए साधारण न्याय या लोकतंत्र की आवश्यकता है। यही कारण है कि अध्ययन का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर शोध करना और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर सांख्यिकीय साक्ष्य का विश्लेषण और राजनीति में महिलाओं की समस्याओं और मुद्दों का विश्लेषण करना है।

मुख्यशब्द: सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था, महिला अधिकारिता, पंचायती राज व्यवस्था, निर्णय लेने की प्रक्रिया, भारतीय संवधान,

प्रस्तावना

लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संवधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशों में निहित है। संवधान न केवल महिलाओं को समान अवसर प्रदान करता है, बल्कि यह राज्य को महिलाओं के हितों में भेदभाव पर सकारात्मक नीतियों को लागू करने का अधिकार भी देता है। "सशक्तिकरण" को लोगों के जीवन प्रभावों को प्रभावित करने के लिए एक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सशक्तिकरण महिलाओं का अर्थ है महिलाओं को अधिक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में विकसित करना जो राजनीतिक माहौल में, आर्थिक रूप से टिकाऊ और स्वायत्त तरीके से अपनी समस्याओं के बारे में सूचित चर्चा में संलग्न हो सकें। लिंग असमानता सूचकांक और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक पर भारतीय स्थिति का विश्लेषण, यह पेपर सरकार के नेतृत्व वाली विभिन्न महिला सशक्तिकरण पहलों पर चर्चा करता है। निष्कर्ष में, लेख में कहा गया है कि महिलाओं और संस्कृति को तदनुसार सम्मान दिया जाना चाहिए, ताकि जीवन के सभी पहलुओं में महिलाओं की समान स्थिति सुनिश्चित हो सके। महिला वित्तीय सशक्तिकरण पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि प्रतिभागी गरीबी को कम करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न भारतीय राज्य कार्यक्रमों में शामिल होकर आर्थिक स्वायत्तता और आत्मविश्वास के लिए एक सही रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि

महिलाओं के पास बहु-वर्षीय सशक्तिकरण है, इस लए उनका जोर सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर भी है।

पुरुषों की तुलना में महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति असाधारण नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों में यही स्थिति है। इस लए अतीत के वपरीत राजनीति में महिलाओं की भूमिका काफी सकारात्मक रही है। आज यह पहले से भी बेहतर है। ले कन निर्णय लेने की शक्ति वाली महिलाएं हमेशा भारत में महानगरीय और धनी समूहों से आती हैं। (संघल) भारत संसद में 9.1% महिलाओं का सबसे निचला चतुर्थक है। राजनीति में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा कए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2008 में, केवल संयुक्त अरब अमीरात में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक था, 22.5%। वास्तव में, हाल ही में संपन्न हुए 15वें लोकसभा चुनावों में 59 महिला सांसदों ने भाग लिया, जो आजादी के बाद सबसे बड़ी थीं और उनकी संसदीय भागीदारी बढ़कर 10.9 प्रतिशत हो गई। इन महिलाओं में से, सत्रह 40 वर्ष से कम उम्र की हैं। वास्तव में, 1922 में, 73वें संशोधन, जिसने सभी महिलाओं की सीटों का एक तिहाई प्रदान किया, भारत में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व का लगभग 50% हिस्सा है। लोकसभा 1952-2014 में संसद में महिलाएं केवल 6.91% महिलाएं हैं, और ग्रामीण सरकार की नींव, पंचायती राज की भूमिका से महिलाओं को अधिक से अधिक बढ़ावा मलता है। 1952 से 2014 तक, भारत 1 जनवरी तक संसदीय चुनावों या सदस्यता में महिला राजनीतिक सशक्तिकरण में लगभग 22.92 प्रतिशत का योगदान देता है। 2014 की तुलना में राज्यसभा में महिलाएं लगभग 22.92 प्रतिशत हैं। निचली संसद में 193 देशों में से यह 148 वें स्थान पर है, जिसमें सर्फ 11.48% महिलाएं हैं। 2015 के बाद से महिलाओं के सरकारी प्रमुखों की संख्या 19 से घटकर 17 हो गई है।

भारतीय महिलाओं का पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम नियंत्रण और कम प्रतिष्ठा है। भारत में महिलाएं निचले स्तर पर सरकारी कार्यालयों और राजनीतिक दलों के लए दौड़ती हैं। 543 में, लोकसभा में 59 सांसदों में 11% महिलाएं (गणेशमूर्ति) थीं। सभा लोकोमोटिव। इंदिरा गांधी भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक थीं, जिन्होंने 14 वर्षों तक सेवा की। कई राज्यों में अब प्रमुख महिला मंत्री और दल हैं, वर्षों से अध्यक्ष हैं, और इसी तरह। संसद के निर्वाचित सदस्यों में सर्फ 12% महिलाएं हैं। राजनीतिक भागीदारी के मामले में दुनिया भर में लैं गक असमानता सर्वेक्षण में भारत नौवें स्थान पर है। महिलाओं के हित में, निर्णय लेने में संलग्नता को शासन

में शा मल करना महत्वपूर्ण है। यह व्यापक रूप से देखा गया था कि सरकार के ढांचे में महिलाओं को उचित रूप से भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती है जो अक्सर राज्य के हस्तक्षेप से ग्रस्त होते हैं जो या तो समावेशी या लोकतांत्रिक होता है। महिलाओं को शा मल करना विशेष रूप से स्थानीय सरकारों में लिंग और लैंगिक नीतियों की समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चूंकि महिलाओं की कई सामाजिक और राजनीतिक जरूरतें और दृष्टिकोण हैं, इस लिए सरकार, राजनीति और निर्णय लेने में महिलाओं द्वारा सभी समाज के वर्गों को शा मल करना महत्वपूर्ण है। महिलाएं परिवार और समुदाय के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और आम लोगों के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों को भी पहचानती हैं। यह उन्हें विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो सतत विकास में एक बड़ा योगदान दे सकता है। (सक्सेना), राष्ट्रीय संसदों में केवल 21% महिलाएं हैं। चुनावों की लागत के अर्थ में, वित्तीय संसाधनों की कमी से भागीदारी को कम किया जा सकता है। सोहिनी पॉल का पुरुष क्षेत्र भारत में राजनीतिक शक्ति बना हुआ है, "मूर्तियाँ हैं कि क्यूबा और जर्मन अधिक महिलाएं हैं जो राजनीति में लगी हुई हैं, और भारत और जापान सबसे कम राजनीतिक महिलाएं हैं। रवांडा महिला संसद में आधे रास्ते तक पहुंचने वाला पहला देश था, जिसमें सात प्रतिशत महिलाएं शा मल हैं। भारत में पुरुष क्षेत्र राजनीतिक शक्ति बना हुआ है।"

सशक्त महिलाओं की विशेषताएं

(i) प्रेरित महिलाएं अपने वास्तविक हित के दृष्टिकोण, मूल्यों और कार्यों को पहचानती हैं। महिलाएं खुद पर निर्भर हैं, क्योंकि महिलाएं मौजूदा पुरुष पदानुक्रमों से पारंपरिक या नए औद्योगिक समाजों में रहने के अपने अधिकार की पुष्टि करती हैं।

(ii) महिलाओं को समान अवसरों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे ऐसी भूमिकाएँ निभाते हैं जो पुरुषों के प्रभुत्व को चुनौती देती हैं। हम समान रूप से प्रति क्रिया करते हैं और आम अच्छे के लिए सहयोग करते हैं।

(iii) प्रेरित महिलाएं संतोषजनक जीवन जीने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करती हैं। न केवल आपकी अपनी अधीनता हिंसा से बच जाती है, बल्कि यह अधीनता को भी पार कर जाती है।

(iv) सशक्त महिलाएं विश्वास और काम की सीमाओं के खिलाफ अपनी ताकत बनाए रखती हैं और सभी महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करती हैं।

(v) प्रेरित महिलाएं अपने मूल्यों को समझती और वक सत करती हैं। वे स्वयं के अर्थ को पुरुषों के अधिकार से प्राप्त नहीं करते हैं या एक वनम तरीके से जीते हैं।

दूसरे शब्दों में, सशक्तिकरण चक्र पांच आयामी है।

(i) संज्ञानात्मक घटक उन महिलाओं पर लागू होता है जो अपनी सूक्ष्म और स्थूल-स्तरीय अधीनता की वास्तविकता और कारणों पर विचार करती हैं।

(ii) महिलाओं को आर्थिक घटक की आवश्यकता होती है ताकि वे पहुंच सकें, शोषण कर सकें और इस लिए उत्पादक पूंजी पर उनका कुछ समर्थन हो।

(iii) मनोवैज्ञानिक पहलू में यह धारणा शामिल है कि महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत और सामुदायिक वास्तविकताओं को बदलने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक आधार पर काम करना चाहिए। हालांकि, इसमें कहा गया है कि आर्थिक शक्ति संतुलन में परिवर्तन प्रमुख सेक्स की भूमिकाओं और मानदंडों को स्वचालित रूप से नहीं बदलता है;

(iv) जो महिलाएं सामाजिक परिवर्तनों पर शोध, समन्वय और आंदोलन करने में सक्षम हैं, वे राजनीतिक तत्व का हिस्सा हैं; तथा

(v) एक प्रेरक तत्व शरीर का भौतिक पहलू और यौन नियमन और यौन हमले का आत्म-संरक्षण है।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी:

सरकार के सशक्तिकरण के 3 कारण हैं जो संसद में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात, मंत्री पद के महिलाओं और पुरुषों के अनुपात और पिछले 50 वर्षों में पुरुषों की तुलना में राज्य प्रमुखों वाली महिलाओं के अनुपात पर आधारित हैं। वर्षों। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। दुनिया भर के ज्यादातर देशों में यही स्थिति है। लेकिन अतीत के विपरीत राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति अब बहुत आशाजनक है। आज यह पहले से काफी बेहतर है। भारत दुनिया की सबसे कम महिला सांसद (9.1 फीसदी) है। 2008 के संयुक्त राष्ट्र महिला राजनीति सर्वेक्षण (शोबा नारायण, 2009) के अनुसार, संयुक्त अरब राज्य में भी महिला सदस्यों की संख्या 22 प्रतिशत अधिक है, जिसमें कहा गया है कि, हाल ही में लोकसभा के 15वें चुनाव के परिणामस्वरूप, 59 महिलाएं इस देश में पहुंच गई हैं। आजादी के बाद महिलाओं का उच्चतम स्तर। यह संख्या भी

प्रले खत है। 1 जनवरी को संसद के लए निर्वा चत या निर्वा चत महिलाओं की संख्या के आधार पर। १९३ देशों में यह १४८वें स्थान पर था, जिसमें सदन की केवल ११.४८% प्रतिनि ध महिलाएं थीं, और सदन में ११% थीं। संसद में 543 में से 59 महिलाओं ने लोकसभा में 11 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनि धत्व कया। भारत से ऊपर छह (पीटीआई, संयुक्त राष्ट्र, 2017) अफगानिस्तान, बंगाल, पा कस्तान, चीन और इराक (बै लंगटन) हैं। संसद में स्वतंत्रता के बाद से यह महिला सांसदों की सबसे बड़ी संख्या थी। साथ ही, राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी में 10.6 फीसदी की भागीदारी रही। 16वीं लोकसभा ने 61 महिला प्रतिनि धियों को संसद में लाया। लोकसभा में महिलाओं की सीटों की संख्या सबसे अ धक है, जिसमें सभी 543 संसदीय सीटों में से 11.23 प्रतिशत शा मल हैं। आजादी के बाद के शुरुआती कुछ दिनों में तो स्थिति भयावह से भी ज्यादा नजर आ रही है। पहली सभा लोकोमोटिव में सभी महिलाओं का सर्फ 4.4%। संसद में महिलाओं की छठी सबसे बड़ी संख्या 1977 में लोकसभा थी, जो सर्फ 3.5% थी। जब क मोदी सरकार के तहत 59 से 61 महिला सांसद थीं, यह अभी भी वश्व औसत 21,3% से कम है। हाल ही में एक अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) सर्वेक्षण में, भारत संसद में महिलाओं द्वारा सेवा देने वाले 189 देशों में 111 वें स्थान पर है।

सरकारी पहल और संवैधानिक प्रावधान

2008 में एक महिला वरोध बिल या संवैधानिक संशोधन 104वें के रूप में एक बिल जारी कया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है क महिलाओं के पास राजनीतिक भागीदारी के लए 33 प्रतिशत का कोटा है। भारतीय सं वधान ने स्वतंत्रता, सामाजिक, आ र्थक और राजनीतिक के संदर्भ में अपने सभी लोगों की वचार और समानता की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया। सं वधान ने महिलाओं की समानता का प्रावधान कया और राज्य से महिलाओं को सामाजिक-आ र्थक, शक्षा और राजनीतिक नुकसान से पी डत होने से रोकने के लए उपाय करने का आह्वान कया।

अनुच्छेद 14: यह भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 15: यह धर्म, मूलवंश, जाति, लंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य महिलाओं और बच्चों के लाभ के लए वशेष प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद 16: रोजगार से संबंधित मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, सभ्य, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 39: अनुच्छेद 39 (ए) सभी नागरिकों के लिए आजी वका के पर्याप्त साधन प्रदान करता है। अनुच्छेद 39 (बी) में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 (सी) में श्रमकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान है, न कि बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग करने के लिए।

अनुच्छेद 42: यह काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत की गारंटी देता है। अनुच्छेद 42 मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 23 और 25 के अनुसार है।

अनुच्छेद 324 और 326: वे क्रमशः राजनीतिक समानता, राजनीतिक गति व धर्यों में भाग लेने के समान अधिकार और मतदान के अधिकार की गारंटी देते हैं।

अनुच्छेद 243 (डी): यह प्रत्येक पंचायत चुनाव में महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण प्रदान करता है। इसने इस आरक्षण को निर्वाचित कार्यालय तक भी बढ़ा दिया है। (दामोदरन और न्यूपने)

उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ने से महिलाओं की स्थिति रातोंरात नहीं बदल जाएगी। यह मानना बकवास है कि महिलाओं की पूरी दुःख का समाधान हो जाता है और समानता अपने आप आ जाती है। यह भी सच है कि राजनीति में भारत की महिलाओं ने शक्तिशाली महिला नेताओं के लिए कुछ नहीं किया। महिलाओं के लिए 33.33% आरक्षित निध के साथ, भारत के संवधान में 63वें और 68वें संशोधनों ने महिलाओं जैसे कई सामाजिक रूप से वंचित समूहों को स्थानीय संस्थानों में शामिल होने का मौका दिया। यह बेहद प्रेरक है। 2006 में, 10,41,430 महिलाओं को स्थानीय संस्थानों के लिए चुना गया था। इस तरह के कोटा या कोटा से संस्थागत परिवर्तन हुए हैं जिससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है और नगरपालिकाओं में महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मनाया जा सकता है। स्थानीय सरकारों में महिलाओं की सफलता रिपोर्ट बड़े बदलावों को दर्शाती है। परिप्रेक्ष्य में वृद्धि से महिलाओं के राजनीतिक और प्रबंधन के प्रदर्शन में

गुणात्मक सुधार होगा। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की भावना को बढ़ावा देने का एक तरीका प्रदान करता है।

राजनीति में महिलाओं के सामने चुनौतियां

निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी का अनुमान लगाना चुनौती है।

उम्मीदवार के रूप में भागीदारी:

कुछ महिलाओं को विशेष रूप से आरक्षण योजना के कारण चुना गया था लेकिन उन्होंने केवल पुरुष परिवार के सदस्यों के मुखपत्र के रूप में काम किया। यह इंगित करता है कि तालिका में वास्तविक प्रतिनिधित्व की तुलना में महिलाओं की संख्या संभावित रूप से अधिक है। इन प्रथाओं को अब संवेदनशीलता अभियानों द्वारा निपटाया जा रहा है और महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि और महिलाओं द्वारा सक्रिय जुड़ाव बढ़ रहा है। केवल परदे के पीछे काम करने वाली महिलाओं को पहचानने की अनुमति देने के लिए सूक्ष्म स्तर पर डेटा संग्रह महत्वपूर्ण है।

निर्णय लेने की पहल का मापन:

स्थानीय महिलाओं के राजनीतिक जुड़ाव पर मात्रात्मक डेटा उपलब्ध है लेकिन उनकी सक्रिय भागीदारी के आयामों और उनके निर्णय लेने की स्थिति के उपयोग पर गुणात्मक डेटा विश्वसनीय रूप से निर्धारित नहीं हैं। हालांकि, वर्तमान स्थिति में वधायी जनादेश ने अपनी विशाल उपस्थिति की अनुमति दी है, लेकिन कई मामलों में रूपरेखा में इसकी आवश्यक प्रकृति स्थापित की जानी बाकी है। उनके अधिकारों और उनके उपयोग के बारे में अभी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। महिलाओं की चुनावी प्रगति पर कब्जा करने, वधायी कार्यवाही को बढ़ावा देने और राजनीतिक प्रक्रिया के अन्य पहलुओं में भागीदारी के प्रयास किए जाने चाहिए।

सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:

आमतौर पर माना जाता है कि लड़कियों को बच्चों की देखभाल करने के लिए और घर से बाहर काम करने के लिए बनाया गया है न कि उनके स्थान पर काम करने के लिए। इस प्रकार, पुरुषों और महिलाओं के बीच एक विभाजन है जिससे पता चलता है कि लड़कियां अपना गृहकार्य करती हैं। योजना, बच्चों की देखभाल, स्नान आदि सहित पूरी तरह से अलग-अलग घरों में लड़कियों को भारित किया जाता है। ये सभी प्रथाएं लड़कियों को घर के अंदर व्यस्त कर देती हैं और उन्हें सरकार की नीतियों में उलझने से रोकती हैं। ऐतिहासिक रूप से एक गलत धारणा है कि



लड़कियों को डायोड माना जाता है ले कन अग्रणी नहीं। लड़कियों की रूढ़िवादी अपेक्षाएं आ खर बड़ी बाधा हैं। महिलाओं में आत्म-दृढ़ता की कमी कुछ बाधाएं हैं जो महिलाओं को नेतृत्व कौशल के सामाजिक ज्ञान में संलग्न होने से हतोत्साहित करती हैं। लै गक समानता के प्रति प्राचीन दृष्टिकोण जो इस प्रकार राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की प्रगति को प्रभावित करते हैं। दुनिया में, ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में, लड़कियों को मुख्य रूप से पुरुषों और विशेष रूप से परिवारों और समाज के भीतर द्वितीय श्रेणी के मतदाताओं पर निर्भर माना जाता है।

धार्मिक कारक:

अधिकांश देशों में आस्था सांस्कृतिक आस्था का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सभी प्रचलित धर्मों में, पुरुषों से महिलाओं की हीनता के बारे में तर्क हैं और दुनिया भर में सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक पहलुओं से महिलाओं को बाहर करने के लिए धर्म का लंबे समय से उपयोग किया जाता है। हिंदू धर्म भारत में प्रमुख धर्म है, अन्य अल्पसंख्यक धर्म इस्लाम और ईसाई धर्म हैं। हिंदू सामान्य रूप से महिलाओं को मुख्या के रूप में नेतृत्व करने की अनुमति नहीं देते हैं। महिलाएं, वे मानते हैं, पुरुषों के संपर्क में हैं। यह भारत जैसे देश में लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है, ले कन कुछ दिन बदल गए हैं, समय बदल गया है और प्रमुख राजनीतिक दल शुरू हो गए हैं।

आर्थिक कारक:

आर्थिक संसाधनों की कमी लड़कियों की राजनीतिक भागीदारी में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। इस प्रकार यह महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने का एक साधन हो सकता है। स्वाभाविक रूप से, राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी काफी हद तक काम तक उनकी पहुंच पर निर्भर करती है, जो उन्हें न केवल द्वितीय स्वतंत्रता प्रदान करती है, बल्कि रसोई के उपकरणों के कौशल और आत्म विश्वास को भी सीमित करती है। हालांकि पहुंच से पता चलता है कि राजनीतिक संस्थानों में लड़कियों की भागीदारी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, और इसका विकास और वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं की खरीदारी और विशेष इकाई सुविधाओं के लिए बैंक को लड़कियों को लगातार यह प्रमाण देना चाहिए। जबकि लड़कियों को मुआवजा दिया जाता है, उन्हें ज्यादातर द्वितीय लाभ पुरुषों से मिलता है, और सामान्य तौर पर, उनकी लड़की के पालन-पोषण का खर्च, जबकि पुरुष होटल और बार में मौज-मस्ती करते हैं, उदाहरण के लिए, यदि उनके पता और मां पर्याप्त योगदान देते हैं। इस प्रकार लड़कियों को

आर्थक रूप से पुरुषों द्वारा लगातार आकर्षित किया जाता है, जो इस क्षेत्र में राजनीति में उनकी कम भागीदारी का मुख्य कारण है।

भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व

तालिका 1 में संसद के दोनों सदनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। नतीजतन, महिला निर्णय लेने वालों की संख्या लगातार कम थी। महिलाएं निर्णय लेने की शक्ति का हिस्सा नहीं हैं और भारतीय लोकतंत्र के राजनीतिक निर्णय लेने पर उनके संख्यात्मक प्रभाव के अनुपात में हैं। इस लए महिलाओं की भागीदारी और सत्ता के सक्रय प्रयोग की औपचारिक अवधारणा वभाजित है।

तालिका 1. लोकसभा और राज्य सभा में महिलाओं की वर्षवार सदस्यता

Year	Members in Lok Sabha			Members in Rajya Sabha		
	Total Members	Female	%	Total Members	Female	%
1952	499	22	4.41	219	16	7.31
1957	500	27	5.40	237	18	7.59
1962	503	34	6.76	238	18	7.56
1967	523	31	5.93	240	20	8.33
1971	521	22	4.22	243	17	7.00
1977	544	19	3.49	244	25	10.25
1980	544	28	5.15	244	24	9.84
1984	544	44	8.09	244	28	11.48
1989	517	27	5.22	245	24	9.80
1991	554	39	7.17	245	38	15.51
1996	543	39	7.18	223	19	8.52
1998	543	43	7.92	245	15	6.12
1999	543	49	9.0	245	19	7.8
2004	539	44	8.2	245	28	11.4
2009	543	58	10.6	245	22	8.98
2014	543	61	11.2	245	29	11.8

16वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

16वें सत्र का अतीत लोकसभा में 61 महिलाओं ने बनाया है। लोकसभा की 16वीं स्पीकर सुमत्रा महाजन एक अन्य महिला हैं। अब राज्यसभा के 29 सदस्य हैं। सात महिला मंत्रियों ने 46 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में पुरुषों की समानता के एजेंडे का वस्तार किया। 23 कैबिनेट मंत्रियों में से छह महिलाएं हैं, जिनकी आबादी लगभग 25% है। तीन मंत्री

स्मृति ईरानी (HRD), निर्मला सीतारमण (व्यापार और उद्योग) और हर समरत कौर बादल (खाद्य प्रसंस्करण) होंगी। सूची में सबसे उम्रदराज कैबिनेट मंत्री 38 वर्षीय नजमा हेपतुल्ला और 74 वर्षीय ईरानी स्मृति शा मल हैं। स्वराज तीन दशकों के बाद सुरक्षा मंत्रिमंडल की सर्वशक्तिमान स मति का हिस्सा बनने वाली पहली महिला हैं। कई अन्य गढ़ों में, जिन पर अभी भी 18 लोगों का दबदबा था, यह भारतीयों की उम्मीदों को एक ऐसे समुदाय के रूप में बढ़ा सकता है जो कांच की छत को तोड़ता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में महिलाओं की उन्नति मूल्यवान होगी। महिलाएं समूह की सदस्य हैं। किसी देश के भव्य को आकार देने में हम एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। स्वामी ववेकानंद ने ठीक ही कहा है: "देश की प्रगति करने के लिए सबसे अच्छा थर्मामीटर महिलाओं का इलाज है," तदनुसार, समाज में उन्हें समझना और सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मामलों में उनकी बढ़ती भागीदारी सभी अधिक प्राप्त हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सभी को महिलाओं के लिए उचित अवसर प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।

#### निष्कर्ष

भारतीय संवधान ने पाया है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार हैं, लेकिन शक्तिशाली पतृसत्तात्मक प्रथाओं ने उन्हें दबा दिया है। भारतीय अर्थ 200 ईसा पूर्व मनु द्वारा उचित स्त्री आचरण के नियमों पर आधारित है। मनु कहते हैं: "किसी को भी अपने घर में एक युवा लड़की, युवा महिलाओं या यहां तक कि एक बुजुर्ग लड़की द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाना चाहिए।" महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के दौरान आप उनकी दयनीय स्थिति देख सकते हैं। महिलाओं के पास कई उद्देश्यों के लिए शिक्षा, अधिक काम, प्रशिक्षण, कुप्रबंधन, नपुंसकता, कुपोषण या खराब स्वास्थ्य नहीं है। चूंकि कामकाजी लड़कियां भारत में सबसे बड़ा गैर-व्यालय समुदाय हैं। सामाजिक अपेक्षाओं और हिंसा के डर के बावजूद महिलाएं और लड़कियां पुरुषों की तुलना में बहुत कम शक्ति हैं। महिलाएं अधिक घंटे काम करती हैं और उनकी नौकरी पुरुषों की तुलना में अधिक मांग वाली होती है। महिलाओं के काम को लोग बमुश्किल याद करते हैं, और ज्यादातर महिलाओं के काम को अदृश्य के रूप में देखा जाता है। जैसे-जैसे तकनीकी विकास ने महिलाओं को उन स्थितियों में पेश किया है जिनमें उन्हें पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, प्रौद्योगिकी के प्रभावों ने महिलाओं को गहराई से प्रभावित किया है। शिक्षा तक अनुचित पहुंच महिलाओं के वृद्धि व्यवसायों के लिए आवश्यक कौशल सीखने के अवसर को सीमित करती है।

यात्रा करने में वफलता, कम साक्षरता और महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण महिलाओं को सीखने के कौशल से हतोत्साहित करते हैं। वरिष्ठ अधिकारी समझते हैं कि महिलाएं क्या कर सकती हैं और महिलाएं क्या काम करती हैं, इस बारे में क्या गलतफहमियां हैं। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा दुनिया भर में मानवाधिकारों का सबसे व्यापक उल्लंघन है। दुर्व्यवहार का डर एक कारण है कि महिलाएं अपने घरों के बाहर और अंदर काम नहीं करना चाहती हैं। आज घर से बाहर गरीबी महिलाओं की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। नतीजतन, नीतियों, पहलों, सेवाओं और योजनाओं के उचित और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और बाधाओं को दूर करने और भारत में प्रभावी और खूनी लैंगिक न्याय स्थापित करने के लिए प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए मौजूदा खामियों को कानून में प्लग करना आवश्यक है। महिलाओं को अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के साथ-साथ कानून और संस्थागत परिवर्तनों के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि, एक निष्पक्ष समाज में समग्र रूप से समाज की मानसकता और वचन को स्थानांतरित करना महत्वपूर्ण है जहां महिलाओं के समान अधिकार, कानूनी समानता और अधिकारों को मान्यता दी जाती है और उनकी सराहना की जाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

भंडारी, रमेश; (2009) 'नई पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और स्थिति (वर्केंद्रीकरण और ग्रामीण विकास)', अल्फा पब,

भारद्वाज, प्रेम आर., (2005) 'जेंडर डिस्क्रीमिनेशन: पॉलिटिक्स ऑफ वूमन एम्पावरमेंट', अनामिका पब, नई दिल्ली।

भारती रे (एड), (1995) फ्रॉम द सीम्स ऑफ हिस्ट्री: एसेज ऑन इंडियन वूमन, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

भुइमाली, अनिल और कुमार, एस अनिल (सं.); (२००७) 'वीमेन इन द फेस ऑफ वैश्वीकरण' सीरियल पब।

भुइयां, दशरथी (सं.) (2008); 'वूमन इन पॉलिटिक्स', डस्कवरी पब्लिशिंग हाउस,

बीजू, एम. आर. (2006); 'महिला सशक्तिकरण: राजनीति और नीतियां', मत्तल पब।

ब्योर्कर्ट, थापर सुरुची; (2006) 'भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं: अनदेखी चेहरे और अनसुनी आवाजें, 1930-42', सेज पब।,

चंद्रा, पुराण (सं.); (2005) 'पो लटिकल डायने मक्स ऑफ वीमेन', आकांक्षा पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

चतुर्वेदी, टी.एन. (२०१०) 'पंचायती राज', भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली,

देसाई, नीरा और ठक्कर, उषा; (2001) 'वीमेन इन इंडियन सोसाइटी', नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।

देवी, लक्ष्मी; (1998) 'महिला रोजगार और सामाजिक सुधार', अनमोल प्रकाशन, नई दिल्ली।

फोर्ब्स, गेराल्डिन; (2005) 'वमेन इन कॉलोनियल इंडिया: एसेज ऑन पॉ लटिक्स, मे ड सन एंड हिस्टोरियोग्राफी', क्रॉनिकल बुक्स, नई दिल्ली।

जी. पलनीथुराई, (2008) 'डायने मक्स ऑफ न्यू पंचायती राज सस्टम्स इन इंडिया', कॉन्सेप्ट पब, नई दिल्ली।

गेल मनॉल्ट, (1981) द एक्सटेंडेड फैमली: वूमेन एंड पॉ लटिकल पार्टि सपेशन इन इंडिया एंड पाकस्तान, चाणक्य पब्लिकेशन्स, दिल्ली।

गनिहार, नूरजहां एन. और बेगम, शहताज (2007); 'लंग मुद्दे और महिला अधिकारिता', डस्कवरी पब।,

जॉर्ज, मैथ्यू; (2002) 'पंचायती राज फ्रॉम लेजिस्लेशन टू मूवमेंट', कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

जॉर्ज, मैथ्यू; (2000) 'भारत में पंचायती राज की स्थिति - एक अवलोकन', अवधारणा प्रकाशन, नई दिल्ली।

घोष रत्न, प्रमाणक आलोक कुमार, (1999) भारत में पंचायत प्रणाली। ऐतिहासिक, संवैधानिक और वित्तीय विश्लेषण, कनिष्क प्रकाशन, नई दिल्ली।

घोष, अर्चना और रेवाल, तवा-लामा, (2005) 'डेमोक्रेटाइजेशन इन प्रोग्रेस: वीमेन एंड लोकल पॉ लटिक्स इन अर्बन इंडिया', तुलका बुक्स, नई दिल्ली।

गोयल, एस.एल. और रजनीश शाहनी (2009); 'पंचायती राज इन इंडिया: थ्योरी एंड प्रैक्टिस', डीप एंड डीप पब्लिकेशन,

पलनीथुराई। जी.. (2009) "स्थानीय निकायों में महिला नेताओं की शैली: तमलनाडु से अनुभव" 1.1PA में। वॉल्यूम। XLVII, नंबर 1 (जनवरी-मार्च)। 2001, पीपी. 38-।...

संगल जे.पी., (2009) "इंडियन डेमोक्रेसी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन" इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एड मनिस्ट्रेशन, वीओ], एक्सएलवीआई, 2000, पी। ६२१-२२.

राजेश्वरी। ए.. (2006) 'पंचायती राज संस्थान और महिला' पलाईथुराई में। जी (सीडी।), लोगों को सशक्त बनाना: मुद्दे और समाधान, कनिष्क प्रकाशक और वतरक, नई दिल्ली।

गुहा संपा। (2006) बदलते समाज में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। इंटर इंडिया न्यू डी.

कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी. (2005) "ग्रामीण विकास में महिलाओं का सशक्तिकरण" पलनीथुराई में। जी (सं।) एवीएनसी पंचायती राय प्रणाली: स्थिति और संभावनाएं। कनिष्क प्रकाशक और वतरक, नई दिल्ली।

मोहनफी। वद्युत। "(2010) संवैधानिक संशोधन और महिला" आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक में। 2010.

अलीम, एस. (1996)। राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक सत्ता में महिलाओं की हिस्सेदारी। एस अलीम (एड।) में, महिला विकास: समस्याएं और संभावनाएं (पृष्ठ 73)। नई दिल्ली: एपीएच पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन।

भ , एस. (2010)। महिला और मानवाधिकार। नई दिल्ली: अल्टार पब्लिशिंग हाउस।

देवगन, पी. (2008)। महिलाओं का कल्याण, विकास और अधिकारिता: भारतीय अनुभव। आर. पांड्या (सं.), वीमेन, वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया: वजन फॉर 21स्ट सेंचुरी (पीपी.372-373) में। नई दिल्ली: न्यू सेंचुरी पब्लिकेशन्स।